

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, भोपाल-462004
//आदेश//

भोपाल, दिनांक: 13/06/2026

क्रमांक: File No.:1/1/41/0008/2026-Sec-2-29(FCS), राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से असथाई रूप से आगामी आदेश तक स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण नीति-2026 की कंडिका 16(1) के प्रावधान के तहत स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कॉलम क्र.04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ करता है:-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री सीताराम कोठारे	छतरपुर	खंडवा
2	श्री संत कुमार भलावी	मंडला	बालाघाट

2/ उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान पदस्थापना स्थल से तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3/ स्थानांतरित अधिकारियों को वर्तमान पदस्थापना स्थल पर किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। नवीन पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होने पर ही अवकाश का निराकरण किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR CHANDEL
Date: 13-06-2026 23:17:36

(बी.के.चन्देल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पु.क्रमांक: File No.:1/1/41/0008/2026-Sec-2-29(FCS) भोपाल, दिनांक:

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. महलखाकर, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
4. आयुक्त, संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला:- छतरपुर, मण्डला मध्यप्रदेश।
6. जिला आपूर्ति अधिकारी, छतरपुर, मण्डला, खण्डवा, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
7. जिला कोषालय अधिकारी, छतरपुर, मण्डला, खण्डवा, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
8. संबंधित अधिकारी.....की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. गार्ड फाईल।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग